राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय,राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः—सं.3(4)(1)च.श्रे.कर्म./विविध/अभि/2018/ 9675-85 दिनांक 9/7/18

— आदेश —

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण जिला स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में कार्य करने के लिये सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए.2/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तो के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी.नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवा निवृत्त कार्मिक की यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड पे के अनुसार (परिशिष्ठ—क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में राज्य कार्य करने हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रुप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र.स 1.	आवेदक का नाम 2	जन्म तिथि 3	सेवा निवृत से पूर्व विभाग का नाम 4	स.नि.अ.कार्यालय जिसमें नियुक्ति की जानी है। 5	विशेष विवरण 6
1.	श्री हरि सिंह	13.11.1957	स.नि.अ., अलवर	अलवर	प्रथम बार
2.	श्री गोरखा राम	02.08.1957	स.नि.अ., श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	प्रथम बार
3.	श्री रामदेव जाट	02.02.1956	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर	अजमेर	प्रथम बार
4.	श्री सियाराम सैन	06.03.1957	स.नि.अ.,अजमेर	अजमेर	द्वितीय बार
5.	श्री छीतर मल मीणा	25.10.1956	स.नि.अ.द्वितीय,जयपुर शहर	जयपुर शहर द्वितीय	द्वितीय बार
6.	श्री दामोदर लाल शर्मा	01.5.1954	स.नि.अ.द्वितीय,जयपुर शहर	जयपुर शहर द्वितीय	द्वितीय बार
7.	श्री भगवान सहाय रेगर	15.12.1956	स.नि.अ.द्वितीय,जयपुर शहर	जयपुर शहर द्वितीय	द्वितीय बार

....2

1. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या कमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 के कम में नियुक्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगें।
2. पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रुपये 500/– के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेगें।
3. चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेगें।
4. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिये निर्देशित कर सकता है।
5. पुनः नियुक्ति सेवा निवृत कर्मचारियों की **सेवा उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक** अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है। **संविदा पुनर्नियुक्ति सेवायें किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।**
6. इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014–00–114–02–01(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।

7. यह आदेश प्रशासनिक विभाग गृह(ग्रुप–10)विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी.संख्या RAJ-E 00035/गृह–10/ दिनांक 03.07.2018 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत कार्मिक को वर्णित शर्तो के अनुरुप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(रमेश कुमार शर्मा)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. अनुभागाधिकारी, गृह(ग्रुप–10)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक निदेशक अभियोजन————————
4. समबन्धित कार्मिक द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन ।
5. लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान,जयपुर